झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–322 / 2019

अजहरूल हक ..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य ..... विपरीत पक्ष

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ता के लिए : श्री नंद किशोर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता

विपक्ष के लिए : श्री एन0के0 सिंह, एस0सी0–VII

03 / 06.12.2019 याचिकाकर्ता ने डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–5161 / 2017 की पुनःस्थापन की मांग की है, जिसे 10 अक्टूबर, 2018 को निर्धारित समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने में विफलता पर लंबित आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने आधार लिया है कि समान प्रकृति की रिट याचिकाओं के एक समूह में सामान्य आदेश पारित किया गया था और अनजाने में याचिकाकर्ता के लिए वकील मामले में उपस्थित नहीं हो सके और आदेश का पता नहीं लगा सके। बाद में, यह पता चला कि मामले को डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया है। मेरिट के अनुसार याचिकाकर्ता का यह अच्छा मामला है, लेकिन वह अपूरणीय रूप से पीड़ित होगा, हालांकि

उसकी ओर से कोई जान बूझकर गलती नहीं की गई है। इसलिए, रिट याचिका को पुनःस्थापित किया जा सकता है।

राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता मौजूद हैं और प्रार्थना का विरोध नहीं करते हैं।

इस याचिका में बताए गए कारणों के आधार पर डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–5161/2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाए।

रिट याचिका में बची हुई त्रुटियाँ, यदि कोई हो, को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर दूर कर दिया जए। आई0ए0 सं0–4398/2019 को बंद किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)